बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार

एसओजी व पुलिस ने की कार्रवाई आरोपित के पैरों में लगी गोली

जासं • श्रावस्ती: एसओजी व इकौना थाने की पुलिस टीम ने सात वर्षीय बालिका का अपहरण व दुष्कर्म करने की घटना का 72 घंटे में सफल अनावरण कर दिया। अंधरपुरवा पुल के पास मुठभेड़ में आरोपित को दबोच लिया। आरोपित के दोनों पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा, तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है।

एसपी घनश्याम चौरसिया ने पुलिस कार्यालय में मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नौ मई को इकौना क्षेत्र के भिनगा-इकौना मार्ग स्थित एक गांव में तिलक समारोह के दौरान घर के पास से सात वर्षीय बालिका की ई-रिक्शा से अपहरण की सूचना मिली थी। कुछ घंटे बाद बालिका घटनास्थल से पांच किमी दूर सड़क पर आते दिखी थी। मुकदमा दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम घटित की गई थी। चिकित्सकीय परीक्षण में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मुकदमे में धारा बढ़ाई गई। विवेचना में मिले तकनीकी साक्ष्यों व सीसी कैमरे की फुटेज के सहारे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। सोमवार को पुलिस टीम ने नेपाल भागने के फिराक में घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा के साथ भिनगा-इकौना मार्ग पर राप्ती नदी के अंधरपुरवा पुल के पास मुठभेड़ में इकौना के सेमगढ़ा के बेहननपुरवा निवासी आरोपित छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को दबोच लिया। बरामदगी के आधार पर इकौना थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने गिरफ्तारी टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

मुठभेड़ में घायल दुष्कर्म के आरोपित को कंधे के सहारे ले जाती पुलिस टीम • जागरण

घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा, तमंचा व कारतूस बरामद, बालिका का अपहरण कर ई-रिक्शा से ले जाकर की थी घटना

दुष्कर्म के आरोपित के बारे में जानकारी देते एसपी घनश्याम चौरसिया • जागरण

इस टीम को मिली सफलता

गिरफ्तारी टीम में एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक नितिन यादव, मुख्य आरक्षी रणविजय सिंह, तौफीक खान, अवनीश सिंह, आरक्षी ऋषभ गौड़, अभिषेक सिंह, प्रवीण यादव, अभिषेक सिंह, सर्विलांस सेल के आरक्षी अमित, इकौना थाने के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार दूबे, उपनिरीक्षक अफजल सलीन खान, प्रेमचंद, विवेक पांडेय, विशाल यादव, अवनीश यादव, मुख्य आरक्षी रामसिंह, आरक्षी संदीप यादव, शेषराम वर्मा, चंद्रेश कुमार, प्रिंस चौधरी, अतुल सिंह व अजय कुमार चौधरी शामिल रहे।

बालिका के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

श्रावस्ती। सात वर्षीय बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी ई रिक्शा चालक को रविवार रात अंधरपुरवा घाट पुल से इकौना पुलिस व एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के दोनों पैर पर गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इकौना के एक गांव निवासी बालिका का शुक्रवार रात नौ बजे घर के सामने से अपहरण कर लिया गया। बाद में उसके साथ दुष्कर्म कर उसे बदहवासी की हालत में छोड़कर आरोपी ई रिक्शा चालक फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी घनश्याम चौरसिया ने एएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। यह टीम सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर के आधार पर स्काई ब्लू कलर के ई रिक्शे की तलाश कर रही थी। घर पर दबिश के बाद आरोपी ई रिक्शा सहित नेपाल भागने की फिराक में था। रविवार रात अंधरपुरवा घाट पुल पर पुलिस टीम ने उसे घेर लिया। इस दौरान बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों पर गोली लगी। इसके बाद टीम ने उसे दबोच लिया।

घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा व तमंचा बरामद, नेपाल भागने की फिराक में था

जिला अस्पताल भर्ती दुष्कर्म का आरोपी। -संवाद

गिरफ्तार आरोपी की पहचान इकौना के ग्राम सेमगढ़ा के मजरा बेहननपुरवा निवासी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन पुत्र मकबूल के रूप में हुई। उसके कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस व ई रिक्शा बरामद हुआ।

एसपी ने बताया कि आरोपी ई रिक्शा सहित नेपाल भागने की फिराक में था। आरोपी गांव की ही एक अन्य 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रयास कर चुका है। जेल से छूटने के बाद बालिका की मां को धमकी देने के मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

शुक्रवार की रात घर के सामने से सात वर्षीय बालिका का अपहरण कर ले गया था ई-रिक्शा चालक, बाद में गंभीर हालत में मिली थी बालिका

मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

कार्रवाई

मुठभेड़ स्थल से आरोपी को ले जाती एसओजी व पुलिस टीम

श्रावस्ती, संवाददाता। तीन दिन पहले घर के सामने से बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के वांछित आरोपी को एसओजी व पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पैरों में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया। आरोपी पहले भी बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में जेल की सजा काट चुका है।

इकौना थाना क्षेत्र के अंधरपुरवा पुल के पास सोमवार तड़के एसओजी व पुलिस टीम ने बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी बेहननपुरवा निवासी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन पुत्र मकबूल खां को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी ने शुक्रवार रात इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया था। जिसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। वहीं अपहरण की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बालिका की खोज करते हुए परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस सक्रिय हुई और बालिका की खोज शुरू की। कुछ घंटे बाद गंभीर हालत में बालिका को घर से करीब पांच किलो मीटर दूर सड़क किनारे से बरामद किया गया। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। चिकित्सीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। सीसीटीवी कैमरे व अन्य स्रोतों से पुलिस की जांच में इकौना के बेहननपुरवा निवासी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन पुत्र मकबूल खां का नाम सामने आया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। सोमवार तड़के ही आरोपी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था और ई-रिक्शा लेकर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को अन्धरपुरवा पुल के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पैरों में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। गिरफ्तारी टीम में एसओजी टीम से प्रभारी नितिन यादव, मुख्य आरक्षी रणविजय सिंह, तौफीक खान, अवनीश सिंह, ऋषभ गौड़, अभिषेक सिंह, प्रवीण यादव, सर्विलांस सेल से अभिषेक सिंह व अमित के साथ ही इकौना थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दूबे, उपनिरीक्षक अफजल सलीन खान, प्रेमचंद, विवेक पाण्डेय आदि शामिल रहे।

> तीन दिन पहले बालिका का अपहरण व दुष्कर्म मामले के आरोपी को एसओजी व पुलिस टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वर्ष 2011 व 2012 में भी आरोपी एक बालिका के दुष्कर्म कर और उसकी हत्या कर दी थी। गिरफ्तारी टीम को 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है।
>
> –**घनश्याम चौरसिया**, पुलिस अधीक्षक

पहले भी दुष्कर्म व हत्या में हो चुकी है फांसी की सजा-:छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन इससे पहले भी दुष्कर्म, हत्या व छेड़छाड़ मामले का आरोपी रहा है। वर्ष 2012 में होली के दिन आरोपी ने गांव की ही छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी को न्यायालय से फांसी की सजा हुई थी।